रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2015/आश्विन 20, 1937
No. 630] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2015/ASVINA 20, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 776(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित तथा धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) तीसरा संशोधन नियम 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (2) में,--

(क) पहले परंतुक में "15 अक्तूबर, 2015 को या उससे पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर "15 अप्रैल, 2016 को या उसके पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में "15 अक्तूबर, 2015 को या उससे पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर "15 अप्रैल, 2016 को या उसके पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(बी)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638(अ), तारीख 8 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 918(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2014, सा.का.नि. 322(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015 और सा.का.नि. 536(अ), तारीख 3 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2015

G.S.R. 776(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59 read with section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Third Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, in rule 3, in sub-rule (2),—

(a) in the first proviso, for the words and figures "on or before the 15th day of October, 2015", the words and figures "on or before the15th day of April, 2016" shall be substituted;

(b) in the second proviso, for the words and figures "on or before the 15th day of October, 2015", the words and figures "on or before the15th day of April, 2016" shall be substituted.

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 501(E), dated the 14th July, 2014 and amended vide notification numbers G.S.R. 638(E), dated the 8th September, 2014, G.S.R. 918(E), dated the 26th December, 2014, G.S.R. 322(E), dated the 27th April, 2015 and G.S.R. 536(E), dated the 3rd July, 2015.

India Code

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.